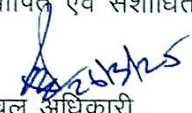
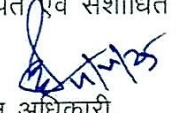
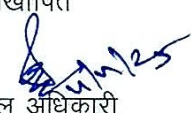


अंचल अधिकारी का न्यायालय, सारवाँ

राजस्व विविध वाद संख्या-...2.../22-23

वादी का नाम- महादेव महतो एवं अन्य-वनाम्-

प्रतिवादी का नाम- नंदु मांझी पिता- टिकेट मांझी ग्राम- पिछी,
थाना नं-175 सारवाँ

आदेश की तारीख	आदेश फलक	अभ्युक्ति
26-3-25	अभिलेख उपस्थापित देखा आवेदक-महादेव महतो एवं अन्य ग्राम-पिछी थाना- सारवाँ द्वारा आवेदन समर्पित कर सूचित किया गया है कि नंदु मांझी पिता-टिकेट मांझी ग्राम- पिछी, थाना नं-175 में सरकारी रास्ते पर जबरन गुनटी बैठाकर सरकारी रास्ता को अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसे ग्रामीणों को आने-जाने में कठिनाई होती है। ग्रामीणों के द्वारा मना करने पर उनके द्वारा गुनटी को नहीं हटाया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक /अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक- 4/4/25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी, सारवाँ।  अंचल अधिकारी, सारवाँ। अभिलेख उपस्थापित देखा। संबंधित हल्का के राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक /अंचल अमीन के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो अभिलेखबद्ध है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त मौजा- के दाग नं0-181 सर्वेक्षित सड़क पर नंदु मांझी के द्वारा गुनटी बना कर अतिक्रमण किया गया था। जो जाँच के क्रम में सही पाया गया। उक्त गुनटी को ग्रामीणों की उपस्थिति में दाग नं0- 181 के अंश रकवा से हटा कर उक्त दाग को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदनुसार अतिक्रमण किये गये सरकारी रास्ता को मुक्त करा दिया गया है। अतः उक्त वाद की कार्यवाई सम्पन्न की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी, सारवाँ। लेखापित  अंचल अधिकारी, सारवाँ।	

4/4/25

सेवा में,
अंचलाधिकारी,
आरवाँ,

विषय: - मौजा पिछी, ग्रामांश-175 में शस्त्रा पर गुमटी
बैठाने के अवैध में तथा अतिक्रमण के अवैध में
जॉच-प्रतिवेदन

महाशय,

उपरोक्त विषय के अवैध में कहना है कि आवेदक
महादेव मौंजी वगैरह द्वारा मौजा-पिछी, ग्रामांश-175
टाग अंश-18। सर्वेक्षित सहक पर नैपु मौंजी के द्वारा
गुमटी बनाकर अतिक्रमण करने के अवैध में आवेदन
प्राप्त हुआ है।

उक्त अवैध में स्थल पर जाकर जॉच
किया एवं यही पाया। उक्त गुमटी को ग्रामीणों की
उपस्थिति में टाग अंश-18। के ऊँचा रकबा से हटाकर
अतिक्रमण भुक्त करा दिया गया है।

निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई
हेतु जॉच-प्रतिवेदन सादर समर्पित

उपस्थित ग्रामीणों
के हस्ताक्षर

आलोक कुमार
(अंचल अधीन
साक्षी)
28/02/25

M
28/02/25
अंचल अधीन

विश्वासभाषन
अलख
राजेंद्र
28/02/25

श्रीकांत मांजी
उमाकांत मांजी
फूल कुमारी
रिंकु देवी
सुरेश सहनी
जामीन मांजी